कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक 23.07.2024

विषयः- बीएचयू में छात्रों के दो गुट में मारपीट के सम्बन्ध में थाना लंका, पर अभियोग पंजीकृत, 04 आरोपियों के विरूद्ध लंका पुलिस द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी ।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा कमिश्नरेट वाराणसी क्षेत्र में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने के क्रम में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में व अपर पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी व सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर के मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक लंका शिवाकान्त मिश्र के कुशल नेतृत्व में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्थित नवीन काशी विश्वनाथ मन्दिर के सामने दो छात्र गुटों में दिनांक 22.07.2024 को हुए मारपीट एवं गाली गलौज के प्रकरण में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना में शामिल 04 नफर आरोपियों को विश्वविद्यालय परिसर से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना विवरणः-

दिनांक 22.07.2024 को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर अन्तर्गत स्थित नवीन काशी विश्वनाथ मन्दिर के सामने सड़क पर दो छात्र गुटों के मध्य समोसा पैर पर गिर जाने की बात को लेकर आपस में मारपीट का प्रकरण प्रकाश में आया जिसपर थाना लंका पुलिस द्वारा शान्ति व्यवस्था कायम रखने के दृष्टिगत प्राक्टोरियल बोर्ड की अनुशंसा पर उभय पक्षों के विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए मारपीट में शामिल व्यक्तियों में से 04 व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही (अन्तर्गत धारा 170/126/135बी0एन0एस0एस0) अमल में लायी गयी। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी। मौके पर शान्ति व्यवस्था कायम है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण -

1. मु0अ0सं0 0267/2024 धारा 191/115(2)/351(2) बी0एन0एस0 थाना लंका, कमि0 वाराणसी
2. मु0अ0सं0 0268/2024 धारा 115(2)/351(2)/352 बी0एन0एस0 थाना लंका, कमि0 वाराणसी

कार्यवाही विवरण

उपरोक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए प्रभारी निरीक्षक महोदय के नेतृत्व में थाना लंका पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त मारपीट में शामिल कुल 04 व्यक्तियों को शान्ति व्यवस्था कायम रखने के दृष्टिगत मौके से हिरासत में लिया गया जिनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही अन्तर्गत धारा 170/126/135बी0एन0एस0एस0 अमल में लाते हुए पकड़े गए उपरोक्त व्यक्तियों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा शेष फरार अज्ञात आरोपीगण की तलाश जारी है। पाबन्द व्यक्तियों का विवरण निम्नवत है-

1. नितेश राय पुत्र अशोक राय निवासी पिपरी, थाना धीना, चन्दौली उम्र 21 वर्ष।
2. विशाल पुत्र उमेश सिंह निवासी चीनी मिल, बक्सर, जिला बक्सर, बिहार उम्र 22 वर्ष।
3. वीरभद्र सिंह पुत्र प्रदीप सिंह निवासी 517/1ए गोविंदपुर रोड प्रयागराज हाल पता हैदराबाद गेट सुसुवाही थाना चितईपुर उम्र 22 वर्ष।
4. पंकज पाण्डेय पुत्र अनुग्रह नारायण निवासी ग्रा0पो0 भुड़कुड़ा थाना इलिया जिला चंदौली उम्र 21 वर्ष।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त नितेश राय-

1. मु0अ0सं0 0041/2023 धारा 147/323/504/506 भा0द0वि0 थाना लंका, कमि0 वाराणसी।
2. मु0अ0सं0 0075/2023 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 थाना लंका, कमि0 वाराणसी।
3. मु0अ0सं0 0267/2024 धारा 191/115(2)/351(2) बी0एन0एस0 थाना लंका, कमि0 वाराणसी

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

1. शिवाकान्त मिश्र, प्रभारी निरीक्षक थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 सिद्धान्त कुमार राय, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
3. उ0नि0 शिवाकान्त शर्मा, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
4. हे0का0 विपिन बिहारी ओझा, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
5. हे0का0 जितेन्द्र कुमार सिंह, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, कार्यालय
जोन-काशी कमिश्नरेट वाराणसी